International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34
Received: 02-09-2020; Accepted: 17-09-2020; Published: 03-10-2020
www.alleducationjournal.com
Volume 5; Issue 5; 2020; Page No. 62-64

महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक हिंसा और कोविड–19 महामारी

प्रतिमा सिंह
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराजं, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
कोई महामारी हो या फिर अन्य कोई आपदा, सर्वाधिक शिकार महिलाएं व बच्चे ही होती हैं। विश्वव्यापी COVID.19 महामारी पर नियंत्रण पाने हेतु लागू लॉकडाउन के चलते विश्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा घरों में कैद रहा जिसके फलस्वरुप मानसिक तनाव, धनार्जन में कमी आदि के फलस्वरुप लैंगिक हिंसा के साथ साथ घरेलू हिंसा में बढ़ोत्तरी देखी गयी है, जिसमें मारना–पीटना, यौनिक यातना आदि की घटनायें बढ़ी हैं। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेश ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में घर के अन्दर जूझ रही महिलाओं को सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आंकड़े बताते हैं कि इस महामारी के दौर में चण्डीगढ़ पुलिस ने 21 मार्च से 20 अप्रैल अर्थात् एक महीने के समय में घरेलू हिंसा से जुड़े 5695 केस दर्ज किये थे, जो कि भारतीय समाज में अलार्मिंग सिचुएशन है। कमोबेश यह स्थिति करेल, दिल्ली, पुणे आदि की भी है। वैश्विक स्तर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार COVID-19 महामारी के आरम्भ के बाद लेबनॉन व मलेशिया में 'हेल्पलाइन' पर आने वाली फोन कॉल्स की संख्या दो गुनी हुई है जबकि चीन में यह आंकड़ा तीन गुना है। ऑस्ट्रलिया में 79 प्रतिशत, स्पेन में 20 प्रतिशत, फ्रांस में 36 प्रतिशत लैंगिक व घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। यह चिन्ता का विषय है। जब सड़के सूनी हों, दुकानें बन्द हों और अपनी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो घरेलू हिंसा से कैसे बच सकते हैं क्या कर सकते हैं? आवश्यकता इस बात की है कि COVID-19 महामारी के विरुद्ध युद्ध के साथ–साथ घर के अन्दर व बाहर दोनों जगहों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा से एकजुट होकर लड़ना है।

मुख्य शब्द: महामारी, महिला, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, भारतीय समाज, कोविड आदि

प्रस्तावना
जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह भारतीय नारी के भी दो पहलू दिखाई पड़ते हैं। उसे कभी महालक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है तो कभी गृहदासी का। शास्त्रों में भी कभी 'ढोल, गवांर, शूद्र, पशु, नारी' कहा गया तो कभी 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' के रूप में महिमा मण्डित किया गया तो वहीं दूसरी तरफ 'खूब लड़ी मर्दानी' के सम्बोधन से उसकी शक्ति स्वरूप का गुणगान किया गया। महिलाओं के प्रति लैंगिक हिंसा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में 1980 के दशक में नारीवाद आंदोलन का उद्भव महिला हिंसा के प्रकार्य पर केंद्रित रहा है। 1970 और 1980 के दशकों में ही पश्चिमी देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून पास कर दिए गए थे जबकि भारत में सन् 2005 में इस हेतु भारत में धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम बनाया गया। यह अलग बात है कि देश में पितृसत्तात्मक समाज और वर्ग आधारित गुणों के कारण इनमें से ज्यादातर कानून स्वयं में ही त्रुटिपूर्ण ही हैं लेकिन इस पर चर्चा इस अध्याय परिधि से बाहर है। घरेलू हिंसा पर राष्ट्रीय विमर्श वर्ष 1983 और 1986 में पत्नियों के प्रति क्रूरता की श्रेणी को घरेलू हिंसा में शामिल करने के लिए मौजूदा फौजदारी कानून में संशोधन किया गया। सन् 1998 में बीजिंग में चौथी महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो इस सन्दर्भ में अन्वेषा आर्या का कहना है कि हिंदू धर्म परम्पराओं में स्त्री की भूमिका में पर्याप्त विरोधाभास है। एक स्त्री को सर्वश्रेष्ठ रचना मानकर उसकी पूजा–अर्चना की जाती है तो वहीं दूसरी ओर उसके रचनात्मक अस्तित्व के प्रति आशंकित हो स्त्री को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं के प्रति लैंगिक व घरेलू हिंसा से सम्बन्धित यह खण्ड से स्पष्ट है कि हिंसा की अभिव्यक्ति में ''महिलाओं के सामाजीकरण'' की भूमिका एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। कोविड–19 महामारी के साथ जेण्डर आधारित चुनौतियां भी बढ़ी है।

कोविड–19 महामारी अर्थात् कोरोना वायरस के प्रभाव से आज मानव सभ्यता का कोई भी भाग अछूता नहीं है। कोविड–19 महामारी के दौर में समूचा विश्व अलग–अलग पतवारों में सवार समुद्र की एक दिशा–विहीन लहर में भटक रहा है। कोविड–19 महामारी के दौर में समूचा विश्व अलग–अलग पतवारों में सवार समुद्र की एक दिशा–विहीन लहर में भटक रहा है। चीन के वुहान शहर (जहां कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया) से उपजे इस वायरस का प्रभाव कितना विनाशकारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके उद्भव के कुछ ही समय उपरांत वैश्विक स्तर पर लगभग समूची उत्पादन प्रणाली एक समय के लिए ठप हो गई थी, आवागमन बंद रहा है, मंदिर मस्जिद अथवा लगभग सभी देवालयों में ताले लगे गए, क्लासरूम आधारित शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ गयी। इसके साथ–साथ मजदूरों विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों अथवा पर–राज्यीय मजदूरों का दुखद एवं निराशाजनक पलायन भी देखा गया। भारत सहित विश्व की लगभग समूची अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के भंवर में फंस गई। देखा जाए तो कोई महामारी हो या फिर अन्य कोई आपदा, सर्वाधिक शिकार महिलाएं ही होती हैं अन्य शब्दों में कहें तो महिलाओं के जीवन पर इस महामरी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी पर नियंत्रण पाने हेतु लॉकडाउन के चलते विश्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा घरों में कैद हो गया है। 'सामाजिक दूरी' अथवा 'भौतिक दूरी' और 'घर पर रहने' अर्थात् लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ स्त्री–पुरुष संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप कोविड–19 के दौर में कई रूपों में लैंगिक हिंसाएं बढ़ी हैं।

यौनिक या लैंगिक हिंसा
यौनिक या लैंगिक हिंसा प्रारम्भ से ही एक संवेदनशील विषय रहा है। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की 'बलात् यौन क्रिया'

अथवा 'यौनिक मानभंग' जैसे बिना अनुमति के अथवा इच्छा के विरूद्ध शारीरिक बल प्रयोग आदि के द्वारा यौन गति विधि हेतु बाध्य करना या यौन सम्बन्ध स्थापित करना आदि सम्मिलित है, यथाः–

- जबरन यौन संबंध स्थापित करना तथा जबरन अश्लील या भद्दे तस्वीर देखने को बाध्य करना।
- लैंगिक संबंधी कोई भी व्यवहार जो पीड़ित व्यक्ति के सम्मान को नुकसान पहुंचाता हो, उसे ग्लानि अनुभव कराये या उसके साथ दुर्व्यवहार करता हो।
- परिवार नियोजन के तरीके जहां आना जरूरी हो वहां मना करता हो।
- बालकों व बालिकओं के साथ दुर्व्यवहार भी शामिल हैं।

इस सन्दर्भ में विगत कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध से जुड़े आंकड़े चिन्तित करने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन0सी0आर0बी0) के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एकत्र पंजीकृत महिलाओं की आत्महत्या के मामलों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े सन् 2014 में 3034 थे जो सन् 2015 में बढ़ कर 4060 हो गये। वर्ष 2005 से 2015 के दशक में दहेज संबंधित मामलों में 88467 महिलाओं की मृत्यु हुई। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में अभी भी 46 प्रतिशत लोग पत्नी को मारते हैं। वहीं कोविड–19 के दौर में ये आंकड़े और भी गम्भीर हुए हैं। 'सामाजिक दूरी' अथवा 'भौतिक दूरी' और 'घर पर रहने' अर्थात् लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ स्त्री–पुरुष संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में कोविड–19 के दौर में कई रूपों में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक हिंसाएं बढ़ी हैं, यथाः–

- शिविर/आश्रय गृहों में लैंगिक व यौनिक हिंसा, बाल यौन शोषण के मामलों में वृद्धि हुई है।
- घरेलू कार्यों में बढ़ोत्तरी हुई है, महामारी के कारण संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को अवैतनिक कामों में वृद्धि हुई है, साथ ही मलिाओं के विरूद्ध मानसिक हिंसा बढ़ी है।
- श्रम बाज़ारों में असमानताओं का प्रतिच्छेदन बढ़ा है। समाज का एक हिस्सा जो रोजमर्रा के जीवन–यापन हेतु सब्जी बेचना, फल बेचना, दूसरों के घर काम करने वाली, आया, इत्यादि कामगार महिलाओं के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। भारत में 100 में से 94 ऐसे लोग हैं जो ऐसे कामों को कामगार नहीं मानते न समाज और न राज्य द्वारा उनके कामों को महत्व और सम्मान दिया जाता है।
- भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ महिलाओं को नैतिकता में बाँध दिया जाता है ऐसे में महामारी के दौरान भी व्यक्तिगत सुरक्षा से ज्यादा पारिवारिक सुरक्षा पर बल दे रही हैं। घरेलू कार्य के साथ बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल इत्यादि के बावजूद इसके आंकड़े बताते हैं कि हर 5 मिनट पर घरेलू हिंसा, मैरिटल रेप आदि हिंसाएं बढ़ी हैं। ध्यातव्य है कि जब सड़के सूनी हो, दुकानें, डाकघर बंद हो तो घरेलू हिंसा की शिकार ग्रामीण महिलाएं कहाँ और कैसे शिकायत करें। जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ई–मेल द्वारा शिकायत दर्ज करा रही। रेखा शर्मा ने बताया कि 25 मार्च से ई–मेल द्वारा शिकायतों में 24 प्रतिशत इजाफा हुआ है। इसके साथ ही साइबर क्राइम तथा महिलाओं द्वारा अधिक नेट, मोबाइल फोन प्रयोग करने से भी शक के घेरे में रहती हैं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लैंगिक हिंसा और भेदभाव बढ़ा है। जहाँ महामारी के दौरान सोशल मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि पुरुष मरीजों द्वारा नर्सों और डॉक्टरों से बदसलूकी की गई। इसके साथ ही नर्सों, आया, सफाई कर्मचारी आदि को बचाव हेतु किट नहीं दिये गये जबकि डॉक्टर को दिये गए। महिलाओं में प्रजनन समस्या, असुरक्षित प्रसव आदि मामले बढ़े हैं, देखा जाए तो महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सदैव ही नज़रअदांज कर दिया जाता है साथ ही महिला स्वयं भी बताने से कतराती हैं।
- लैंगिक विभेदीकरण के आधार पर कार्यों, रहन–सहन, व्यवहार आदि का निर्धारण कर दिया जाता है जिसके चलते महिलाएं दोयम दर्जे का स्थान पाती हैं किन्तु पहली बार ऐसा हुआ कि महामारी ने पुरुष को घर के अंदर ला दिया है इसका एक सकारात्मक परिणाम सामाजिक संरचना में बदलाव आना है, तो वहीं दूसरा नकारात्मक परिणाम मानसिक तनाव, घरेलू कलह एवं महिला के प्रति हिंसा में वृद्धि आना है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एटोनियों गुटारेश ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में घर की अंदर जूझ रही महिलाओं को सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है।
- वैश्विक स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोविड–19 महामारी के बाद लैंगिक हिंसाओं में वृद्धि हुई है। लेबनॉन और मलेशिया में 'हेल्पलाइन' पर आने वाली फोन कॉल्स की संख्या दुगुनी हुई है जबकि चीन में यह आँकड़ा तीन गुना है। आस्ट्रेलिया में 79 प्रतिशत, स्पेन में 20 प्रतिशत, फ्रांस में 36 प्रतिशत, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, यह चिंता का विषय है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने विशेष शीर्षक– "In focus : Gender equality matters in COVID-19 response" के अन्तर्गत कहा कि यह स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है इसने समाज और अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। साथ ही महिलाओं द्वारा किये जा रहे प्रयास–बच्चों–बुजुर्गो की देखभाल, घरेलू कार्य, साफ–सफाई आदि को महत्व देने की बात की।

निकट भविष्य में सम्भावनायें

निःसन्देह राष्ट्र निर्माण में मीडिया और महिला दोनों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। मीडिया समाज का दर्पण है, लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ है, इसमें जनता को प्रभावित करने का अपार शक्ति हैऐसी स्थिति में भारतीय मीडिया को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है और इसे 'महिलाओं से जुड़े मुद्दों तथा लैंगिक हिंसा जैसे मुद्दों' पर निर्णायक रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिखाई पड़ रही है किंतु आवश्यक्ता इस बात की है कि मीडिया को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। फिल्म निर्माताओं, श्रेष्ठ पत्रकारों, मीडिया कर्मियों द्वारा महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली के मध्य एक सुखद सामन्जस्य स्थापित करें जिससे कि अपने राष्ट्र, समाजिक व्यवस्था व अपनी संस्कृति पर गर्व हो, महिलाओं के चरित्र के साथ खिलवाड़ न किया जाए, लिंग के प्रति संवेदनशीलता हो, महिलाओं का वाणिज्यीकरण बंद किया जाए, महिला के जीवन से संबंधित मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों का विस्तार हो, जिससे समाज में 'नैतिक मूल्यों' और 'सांस्कृतिक गुणों' का विकास हो सके। शासन व प्रशासन के स्तर पर महिलाओं के सन्दर्भ मे ठोस कदम उठायें जानें के साथ साथ पूर्व निर्मित विधि व कानूनों को वास्तविक धरातल पर लागूं करनें का उचित प्रबन्धन स्थापित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

यद्यपि कि भारत में महिलाओं के प्रति होने वाली लैंगिक हिंसा के निवारण हेतु केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न प्रावधान किये गये हैं तथापि भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति तथा शिक्षा एवं रोजगार में पिछड़ापन एक ऐसी पृष्ठभूमि निर्मित करता है, जिसमें न केवल महिलायें उपेक्षा एवं हिंसा की शिकार होती रही हैं बल्कि घरेलू क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति अत्यधिक निराशाजनक रही है। किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संविधान के भाग–3 के अन्तर्गत अनुच्छेद–14, अनुच्छेद–15 व अनुच्छेद–16 तथा भाग–4 के अन्तर्गत अनुच्छेद–39 एवं अनुच्छेद–42 तथा अन्य संविधानेत्तर प्रावधान के साथ साथ 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005' का लागू होना महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को सम्बल प्रदान करता है।

सारभूत रूप में कहें तो कोविड–19 महामारी संपूर्ण मानव सभ्यता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, जिसके प्रभाव में मानव जीवन से जुड़ा कोई भी अंग अछूता नहीं रह सका। अतंतः संकट की इस घड़ी में आवश्यकता इस बात की है कि महामारी के विरूद्ध युद्ध के साथ–साथ घर के अंदर और बाहर दोनों जगह महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा से एकजुट होकर लड़ना है। महिलाओं को भी अपनी चुप्पी तोड़कर आवाज़ उठाने की जरुरत है–"Mow is the time to stand up, break the silence. Let's put the lockdown on domestic violence". शासन और प्रशासन के साथ–साथ हमें व्यक्तिगत स्तर पर इस महामारी के दौर को मानव सेवा एवं राष्ट्र सेवा के अवसर के रूप में लेते हुए अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करना होगा। निकट भविष्य में विव व्यवस्था की रूपरेखा किस प्रकार की होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सहित अन्य देश इस संकट से किस प्रकार बाहर आते हैं। भारत का नेतृत्व इस संकट से निकलने में कितना संयमित, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करता है।

सन्दर्भ सूची

1. दीक्षित, सोना कुमार अरूण (2004): 'मानवाधिकार और महिलाएँ', योजना पत्रिका, मार्च
2. सिंह, बहादुर करन (2006): 'महिला और समाज', कुरूक्षेत्र पत्रिका, मार्च
3. पाण्डेय, प्रतिभा (2007): 'भारतीय स्त्रीः दशा और दिशा', योजना पत्रिका, फरवरी
4. पटेल, अनीता (2002): 'महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक', योजना पत्रिका, जून
5. शर्मा, आर0के0 (2013): 'डोमेस्टिक वॉयलेन्स एगेन्स्ट वूमेन', रेगल पब्लिकेशन्स।
6. सिंह, एस0पी0 (2009): 'डोमेस्टिक वॉयलेन्स एगेन्स्ट वूमेन इन इंडिया', माधव बुक्स।
7. उत्तर प्रदेशः सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
8. शारदा, सैलवीः 40 वीमेन विन टू क्रिएट रिकॉर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 मार्च 2017.
9. जनसत्ता
10. द हिंदू
11. टाइम्स आफ इंडिया
12. Mlambo- Ngcuka, Phumzile (2020) 'Violence against women and girls: The shadow pandemic', An official statement of UN WOMEN on 06.04.2020,http://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement- phumzile- violence- against-women during- Pandemic. Accessed on 25.04.2020.
13. ABP News Bureau (2020) Trapped with An Abuser: Corona virus Lockdown sees A Rise in Domestic Abuse, https://news.abplive.com/news/india/coronavirus- lockdown- causes- rise- in-domestic-violence- covid-19-1193795, Accessed on 24.0.2020.
14. mahilaayog.up.nic.in
15. https://news.un.org/hi/story/2020/04/1024472.
16. Prof. Vasanthi Raman. Exploring the Multivalent Dimensions of Gender Dynamics in the Time of Crisis' lectures on, 2020.
17. Prof. Vibhuti Patel, 'Gender Dynamics in the time of crisis- A case study of COVID-19, lecture on 8 June, 2020.
18. https://global.gotomeeting.com